न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–56/2021

इद्रीश मियाँ एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रामनाथ साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
14.09.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.01.2023 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा तथा दखल कब्जें की पुर्नप्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण असामाजिक तत्वों से मिलकर वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु निर्माण सामग्री इक्कठा कर रहे है तथा जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि की प्रकृति बदलना चाह रहे है तथा नया पक्का निर्माण करने को आमादा है। इसीलिए प्रस्तुत आवेदन दिया गया है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के मद में होने वाले व्यय को वहन करने को तैयार है। वादीगण का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति का जाँच प्रतिवेदन मंगाने की कृपा करें। न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय देने के बावजूद भी प्रतिवादीगणों की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा तथा दखल कब्जें की पुर्नप्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण नया निर्माण करने हेतु वादग्रस्त भूमि पर निर्माण सामग्री इक्कठा कर रहे है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–56/2021</u>

इद्रीश मियाँ एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रामनाथ साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.09.2023	दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 23.01.2023 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये वादीगण के द्वारा वहन किये जायेगें। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 29.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	